



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली  
M. J. P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

S.T.D. 0581-2527263, 2527286

Bareilly-243006(INDIA)

पत्रांक सं. - रूवी० / सम्ब० / 2016/ 2320-24

दिनांक-19/12/2016

सेवा में

प्रबन्धक/सचिव

संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विलेज कूदना चक

बृजघाट, जिला अमरोहा (जे. पी. नगर)

**विषय:- संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अमरोहा को स्नातक स्तर पर बी. ए. एम. एस. कोर्स में 100 सीट्स सत्र 2016-17 हेतु संबद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के क्रम में आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. R-12011/16/2015-EP(IM-I) दिनांक 09.12.2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 20-10-2016 की संस्तुति एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 16.12.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विलेज कूदना चक बृजघाट जिला अमरोहा (जे. पी. नगर) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम में 100 सीट्स प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2016-17 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं सी०सी०आई०एम० के पत्र दिनांक 09.12.2016 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा/लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा प्रवेश के सम्बन्धत में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों की परीक्षा सी०सी०आई०एम०/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के रेग्यूलेशन के निर्धारित पाठ्य दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. शिक्षको का अनुमोदन एवं प्रबंध समिति का अनुमोदन वांछित है

भवदीय

(प्रो० मुशाहिद हुसैन)

कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली ।
3. उपकुलसचिव परीक्षा / शैक्षणिक ।
4. सहायक कुलसचिव गोपनीय ।

डॉ० एस० एल० मोर्य

(कुलसचिव)



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली  
M. J. P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

S.T.D. 0581-2527263, 2527286

Bareilly-243006(INDIA)

पत्रांक सं. - स्वी० / सम्ब० / 2016/ 2320

सेवा में

दिनांक-19/12/2016

प्रबन्धक/सचिव

संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विलेज कूदना चक

बृजघाट, जिला अमरोहा (जे. पी. नगर)

**विषय:- संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अमरोहा को स्नातक स्तर पर बी. ए. एम. एस. कोर्स में 100 सीट्स सत्र 2016-17 हेतु संबद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के क्रम में आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. R-12011/16/2015-EP(IM-I) दिनांक 09.12.2016 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 20-10-2016 की संस्तुति एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 16.12.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विलेज कूदना चक बृजघाट जिला अमरोहा (जे. पी. नगर) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम में 100 सीट्स प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2016-17 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं सी०सी०आई०एम० के पत्र दिनांक 09.12.2016 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा/लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा प्रवेश के सम्बन्धत में शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों की परीक्षा सी०सी०आई०एम०/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के रेग्यूलेशन के निर्धारित पाठ्य दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. शिक्षको का अनुमोदन एवं प्रबंध समिति का अनुमोदन वांछित है

भवदीय

(प्रो० मुशाहिद हुसैन)

कुलपति